समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या- 18/2021

इन्डस टावर लि., रेजीडेंस आफ टावर -1, द्वितीय फ्लोर,
ओकाया सेंटर, ब्लाक बी, सेक्टर – 62, नोयडा (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.) छिबरामऊ,
जिला - कन्नौज ।

------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., रेजीडेंस आफ टावर -1, द्वितीय फ्लोर, ओकाया सेंटर, ब्लाक बी, सेक्टर – 62, नोयडा (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 11.06.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, जिला कन्नैज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 781726609863 के सम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

आगे जारी है ।

इण्डस टावर लि. बहादुरपुर छिबरामऊ संयोजन सं. 781705718015 स्वीकृत भार 16.67 KVA का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 40,68,431/- था।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 3/1 ता 3/7) दाखिल किया गया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन के सम्बन्ध में बताना है कि परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण परिवादी एक कम्पनी है सिद्ध नहीं है। परिवाद पत्र प्रस्तुत करने वाले श्री मेहम्मद कौसर जहां के द्वारा परिवादी कम्पनी की तरफ से परिवाद को अपने हस्ताक्षर से दाखिल करने से सम्बन्धित कम्पनी का कोई रिजोल्यूशन भी परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके कारण मात्र इन आधारों पर ही परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विवादित नहीं है। धारा 4 के कथन में ये स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन जरिये खाता संख्या 781726609863 से प्राप्त किया था। जिस पर समय-समय पर बिल जारी किये जाते रहे। पूर्व में परिवादी के द्वारा ये कहा जाता रहा कि मौजमपुर में उसकी कोई साईट नहीं है। धारा 5 के कथन असत्य व अस्वीकार है। मीटर खराब होने की शिकायत करने पर अथवा मीटर को खराब होना पाये जाने पर मीटर को समय-समय पर बदला जाता रहा है जो परिवाद के साथ संलग्न सीलिंग सर्टीफिकेट से स्पष्ट है। धारा 6 के कथन असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा इस कनेक्शन पर कोई धनराशि दिनांक 20.04.2021 से पूर्व जमा नहीं की। परिवादी के लेजर की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक-1 है। धारा 7 के कथन असत्य व अस्वीकार है। कथित बिल एक माह का नहीं है बल्कि परिवादी के द्वारा समय-समय पर माह दर माह के बिलों को जमा न करने के कारण बकाया धनराशि मय मासिक बिल धनराशि के रू. 40,68,431/- दिनांक 30.11.2020 से 29.12.2020 का था। ये बिल विद्युत उपभोग के अनुसार बना था। धारा 8 के कथन स्वीकार हैं। परिवादी का मीटर खराब पाये जाने पर विभागीय प्रक्रिया के तहत बदला गया था। धारा 9 के कथन स्वीकार है। परिवादी का मीटर खराब पाये जाने पर विभागीय प्रक्रिया के तहत भदला गया। धारा 10 के कथन जिस प्रकार लिखे है असत्य व अस्वीकार हैं। प्रत्येक उपभोक्ता को उसके परिसर पर लगे मीटर के अनुसार मीटर में आयी खपत के अनुसार बिल जारी किये जाते हैं। जब मीटर खराब हो जाता है उक्त मीटर में स्टोर्ड यूनिट व नये मीटर में आयी खपत के अनुसार बिल जारी किये जाते है। परिवादी के प्रकरण में भी बिल दोषपूर्ण मीटर से नहीं बनाया गया। बल्कि मीटर में खपत हुई यूनिट के अनुसार बनाया गया है। परिवादी के मीटर के सही प्रकार से काम करना बन्द कर देने पर उसे बदल कर नया मीटर लगाया गया। नये मीटर लगने के सीलिंग सर्टीफिकेट की फोटो प्रतिलिपि संलग्नक 2 व 3 है। परिवादी को जारी बिल एम.आर.आई. के आधार पर बने हैं जो कि पूर्णतया सही है। धारा 11 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को समय-समय पर बिल जारी किये गये परिवादी के द्वारा दिनांक 20,04,2021 को पहली बार बिल की आंशिक धनराशि रू. 56,741/- को जमा किया। जब कि

आगे जारी है।

परिवादी को माह दर माह के बिल जारी होते रहे हैं। किन्तु परिवादी के द्वारा किसी बिल की धनराशि को जमा नहीं किया गया और विद्युत का उपभोग निरन्तर करता रहा। जब कि प्रत्येक जारी बिल धनराशि को ड्यू डेट तक जमा करना विधिक प्राविधानों के अनुसार आवश्यक है बिल का समय से जमा न करने के कारण परिवादी बकाया विद्युत बिल धनराशि को मय लेट पेमेंट सरचार्ज जमा करने के लिये उत्तरदायी है। धारा 12 में वर्णित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के कथन विधिक है जिसके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है उत्तरित धारा के शेष कथन असत्य व अस्वीकार है। कथित बिल एक माह का नहीं है बल्कि परिवादी के द्वारा समय-समय पर माह दर माह के बिलों को जमा न करने के कारण बकाया धनराशि मय मासिक बिल धनराशि को लेते हुये रु. 40,68,431/- दिनांक 30.11.2020 से 29.12.2020 का था। ये विद्युत उपभोग के अनुसार बना था। परिवादी के ऊपर माह जून 2021 का बिल रु. 44,00,271/- बकाया है। धारा 13 के कथन विधिक है जिनके सम्बन्ध में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। परिवादी को समय-समय बिल जारी किये गये किन्तु उसके द्वारा न तो कोई बिल धनराशि को जमा किया गया और न ही बिल में कोई त्रुटि बताते हुये कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके कारण परिवादी को जारी बिल रु. 40,68,431/- पूर्णतया सही है जिसका भुगतान करने की जिम्मेदारी परिवादी की है। परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिल का भुगतान न करने से विपक्षीगण जिन विद्युत उत्पादन कम्पनियों से विद्युत ऊर्जा क्रय करती है उनका भुगतान समय से नहीं हो पाने के कारण विपक्षीगण को विद्युत क्रय करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तथा समय से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी विद्युत सप्लाई सुचारु रुप से प्रदान करने में विघ्न उत्पन्न होता है। उपरोक्त समस्त कारणों से परिवादी लेट पेमेंट सरचार्ज में किसी प्रकार की छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धारा 14 के कथन परिवादी के प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। परिवादी ने कभी भी बिल को भुगतान नहीं किया। मात्र दिनांक 20.04.2021 को आंशिक भुगतान रु. 56,741/- का किया। तथा पूर्व में जारी बिलों की ड्यू डेट से पूर्व बिल में त्रुटि अंकित कर कभी कोई प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया। जिसके कारण परिवादी किसी प्रकार की छूट लेट पेमेंट सरचार्ज के भुगतान में पाने के लिये अधिकृत नहीं है। धारा 15 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी को जारी बिल पूर्णतया सही है जिसके कारण परिवादी का परिवाद विशेष हर्जे सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

निष्कर्ष

विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा संयोजन संख्या 781726609863 एयरसेल डिजिटल टावर मौजमपुर पोस्ट कुसुमखोर जिला कन्नौज द्वारा निम्न अभिलेख आज दिनांक 19.12.2022 को उपलब्ध कराये गये।

(1) सम्बंधित कनेक्शन का पी.डी. फाईनल बिल एवं पी.डी. फाईनल रिर्पोट की फोटोकापी।

आगे जारी है।

(2) मीटर की एम.आर.आई. रिर्पोट की फोटोकापी।

(3) सम्बंधित संयोजन की वर्ष 2008, 2009, व 2010 की लेजर की फोटोकापी।

(4) सम्बंधित संयोजन पर बकाया होने के कारण अवर अभियन्ता द्वारा 138 (1)b में पुलिस स्टेशन एंटी पावर थेप्ट, थाना कन्नौज में दिनांक 07.12.2020 को दर्ज करायी गई एफ.आई.आर. नम्बर 0962 की फोटोकापी।

उपरोक्त तथ्यों के परिशीलन एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि उपरोक्त संयोजन पर धारा 138 (1)b के तहत एफ.आई.आर. दिनांक 07.12.2020 को दर्ज करायी गयी है इसलिये इस प्रकरण की सुन्नवाई विद्युत उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

इन्डस टावर लि., रेजीडेंस आफ टावर -1, द्वितीय फ्लोर, ओकाया सेंटर, ब्लाक बी, सेक्टर – 62, नोयडा (उत्तर प्रदेश) का परिवाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

19/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 19/12/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

19/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0
दिनांकः- 19/12/2022

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति